न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–13/2013/भीलवाड़ा (2013/00008)

1. प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, शम्भूगढ, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा ।

अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स नाकोडा मिनरल्स फर्म आसीन्द जरिये प्रो0 अमरचन्द पुत्र धर्मीचन्द अखलेचा, निवासी ब्यावर एवं रतनलाल पुत्र माधूलाल जाट, निवासी रनवा का खेड़ा, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा ।

रेस्पोडेंट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा दिनांक 27.9.2012 प्रकरण संख्या 236/2012.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–28.2.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द,जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के समक्ष अंतर्गत धारा 136 का इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम शम्भूगढ़ में खनिज विभाग द्वारा दिनांक 24.1.2008 को खनन कार्य हेतु आवंटन किया गया तथा लीज

का पंजीयन किया गाय है जिसमें ग्राम शम्भूगढ़ के खसरा नंबर 3018/773/2960, 773/2960, 772, 789, 791/2965, 814, 815, 816, 866 एवं 867 कुल रकबा 4.3689 है0 भूमि खनन कार्य हेतु दी गई तथा स्कूल के खैल मैदान हेतु जो भूमि दी गई वह स्कूल के खेल मैदान हेतु अनुपयुक्त है तथा नक्शे में अंकन फर्म को सूचना दिये बिना किया गया है । खनन कार्य हेतु फर्म द्वारा विस्फोटक सामग्री काम में ली जाकर विस्फोटक किया जाता है इस कारण यह भूमि खेल मैदान हेतु उपुयक्त नहीं है इसलिये स्कूल खेल मैदान की तरमीम अन्य स्थान पर की जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर, तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 27.9.2012 के द्वारा स्कूल के खेल मैदान हेतु आवंटित स्थान को परिवर्तित करने बाबत् आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटस के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, शम्भूगढ़ स्कूल के खेल मैदान हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की थी तथा इस बाबत् नामांतकरण संख्या 942 दिनांक 16.4.2002 को स्वीकृत किया जाकर खसरा संख्या 3007/789 रकबा 3 है0 का स्कूल के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया । अपीलांट स्कूल को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया है उसी स्थान पर स्कूल काबिज होकर उक्त भूमि को खेल मैदान के उपयोग में ले रही है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्कूल खेल मैदान हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार ने खेल मैदान हेतु की गई तरमीम को सही होना बताया तथा उक्त भूमि स्कूल के खेल मैदान हेतु उपयोग में आने का अंकन किया परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने खेल मैदान की तरमीम को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 136 के तहत जो आवेदन रेस्पो0 ने पेश किया उसे पेश करने का अधिकार नहीं था तथा ना ही रेस्पो0 का प्रकरण किसी भी प्रकार से धारा 136 के तहत कवर होता है क्योंकि जिला कलक्टर के आदेश से किये गये आवंटन की तरमीम को त्रुटि नहीं माना जा सकता है और न ही किसी राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यदि रेस्पो0 को स्कूल खेल मैदान से कोई आपत्ति थी तो रेस्पो0 को मूल आवंटन आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने बिना अधिकारिता के अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.9.2012 अपास्त किया जावे । xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस में कथन किया कि अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 में उपस्थित प्रतिनिधि को तारीख पेशी की सूचना देने तथा आवश्यकता होने पर बुलाने का आश्वासन दिया था किन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 7.3.2013 को सार्वजनिक रूप से कहा गया कि स्कूल का खेल मैदान वर्तमान स्थान से वे हटवा देगें, जिसकी चर्चा स्कूल के अध्यापकों के समक्ष किये जाने पर जानकारी करने का प्रयास किया तथा दिनांक 8.3.2013 को जानकारी हुई कि अधी0न्याया0 द्वारा स्कूल के खेल मैदान बाबत् की गई तरमीम को अपास्त कर दिया गया है, तब अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्त ने बताया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई है । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 में निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रतियां प्राप्त होने पर अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु पर किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर भू-अभिलेख निरीक्षक आसीन्द के पत्र दिनांक 6.8.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शम्भूगढ़ को स्कूल के खेल मैदान हेतु विवादित भूमि खसरा 789/3007 में रकबा 3 है0 का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 10.11.2001 को किया गया है तथा स्कूल हेतु आवंटन क्षैत्र का नक्शे में तरमीम नहीं होने एवं तत्पश्चात् ग्राम शम्भूगढ़ में वर्ष 2003 एवं 2007 में तीन खनिज पट्टे खान विभाग द्वारा जारी किये गये है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, आसीन्द के पत्र क्रमाक 1 दिनांक 18.8.2012 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 को एम0एल0 नं0 145/03 दिनांक 24.1.208 को आवंटित होकर खनन कार्य किया जा रहा है । उक्त दोनों पत्रों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलांट स्कूल को खेल मैदान हेतु खसरा नंबर 789/3007 रकबा 3 है0 आवंटन होने के पश्चात् वर्ष 2003 में रेस्पो0 को एम0एल0 नंबर 145/03 जारी की गई है । तत्समय अपीलांट को खेल मैदान हेतु

आवंटित भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं की गई थी किन्तु दिनांक 25.5.2012 को खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि की नक्शे में तरमीम की जाकर खसरा नंबर 39007/789 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट के खेल मैदान के संबंध में की गई तरमीम को अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 136 भू-राजस्व अधि0 के तहत चुनौती दी है जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर खेल मैदान की आराजी की तरमीम को अपास्त करने का आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें नायब तहसीलदार, आसीन्द ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट स्कूल का खसरा नंबर 3007/789 पर सन् 2002 से कब्जा है तथा उक्त भूमि स्कूल के खेल प्रयोजन हेतु उपयोग में आ रही है तथा मौका अनुसार व कब्जा अनुसार तरमीम की गई है । न्यायालय हाजा की राय में यदि अपीलांट स्कूल के खेल मैदान से व्यथित है तो उन्हें स्कूल को खेल मैदान हेतु किये गये आवंटन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने एक तरह से धारा 136 के प्रकरण के तहत अपीलांट स्कूल के पक्ष में हुए खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि के आवंटन आदेश को ही अपास्त कर दिया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । राजस्थान भू-राजस्व अधि0 की धारा 136 के तहत आवंटन आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में यह भी जांच का विषय है कि जब वर्ष 2002 में खसरा नंबर 789 में 3 है0 भूमि का आवंटन अपीलांट स्कूल को खेल मैदान किया जा चुका था तो इसके पश्चात् सन् 2003 में किस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 को खनन हेतु लीज जारी की गई तथा लीज जारी करने से पूर्व तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन एवं कब्जे के संबंध में रिपोर्ट की गई अथवा नहीं । इस संबंध में हम विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से जांच कराया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 27.9.2012 अपास्त योग्य होकर प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 13/2013 (2013/00008) बउनवानी प्रधानार्चाय राजकीय सीनियर उ0मा0वि0 शम्भूगढ़ बनाम मैसर्स नाकोडा मिनरलस को स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 236/2012 बउनवान मैसर्स नाकोड़ा मिनरल्स बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस संबंध में जांच करे कि वर्ष 2002 में खसरा नंबर 789 में 3 है0 भूमि का आवंटन अपीलांट स्कूल को खेल मैदान किया जा चुका था तो इसके पश्चात् सन् 2003 में किस प्रकार

रेस्पो0 संख्या 1 को खनन हेतु लीज जारी की गई तथा लीज जारी करने से पूर्व तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन एवं कब्जे के संबंध में रिपोर्ट की गई अथवा नहीं । यदि प्रकरण में राजस्व रिकार्ड व कब्जे के आधार पर रिपोर्ट नहीं की गई तो दोषी पाये जाने वाले तत्कालीन राजस्व कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर